

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु०नं० 89/2013

1. बगडावत उम्र 62 वर्ष पुत्र श्योचन्द, जाति मेघवंशी निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
2. पतासी उम्र 65 वर्ष पुत्री श्योचन्द जाति मेघवंशी निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
3. स्यानी उम्र 60 वर्ष पुत्री श्योचन्द जाति मेघवंशी निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
4. दलीप कुमार उम्र 47 वर्ष पुत्र घासीराम जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
5. सज्जन कुमार उम्र 45 वर्ष, पुत्र घासीराम जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
6. जगदीश कुमार उम्र 40 वर्ष, पुत्र घासीराम जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
7. पूर्णराम उम्र 55 वर्ष, पुत्र इन्द्राज जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
8. होशियार सिंह उम्र 52 वर्ष पुत्र इन्द्राज जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
9. रोशनलाल उम्र 50 वर्ष, पुत्र इन्द्राज जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
10. माली बेवा नानड उम्र 70 वर्ष जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
11. गोपीधर पुत्र नानड उम्र 50 वर्ष, जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
12. मनीराम पुत्र नानड उम्र 48 वर्ष, जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
13. बाबूलाल पुत्र नानड उम्र 45 वर्ष, जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
14. संतलाल पुत्र नानड उम्र 40 वर्ष, जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

वादीगण

बनाम

01. गंगाराम दत्तक पुत्र बस्तीराम, उम 45 वर्ष, जाति कुम्हार निवासी राजवीरपुरा, तहसील चिडावा, हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
02. मु० चमेली पुत्री बागाराम, पत्नी स्व. हनूमानप्रसाद, उम्र 60 वर्ष निवासी औजदू तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू।
03. देवेन्द्र कुमार उम्र 45 वर्ष, पुत्र सीताराम, जाति ब्राहमण निवासी राजवीरपुरा, तहसील चिडावा, हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।

04. सुरेश कुमार उम्र 42 वर्ष पुत्र सीताराम, जाति ब्राहमण निवासी राजवीरपुरा, तहसील चिडावा, हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
05. संत कुमार उम्र 70 वर्ष पुत्र श्योकरण, जाति ब्राहमण, निवासी राजवीरपुरा, तहसील चिडावा, हाल सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
06. राजेन्द्र पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ तहसील झुन्झुनू।
07. बलवान पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ तहसील झुन्झुनू।
08. समर सिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सूरजगढ तहसील झुन्झुनू।
09. चान्दकौर बेवा श्योकरण, जाति जाट निवासी राजवीरपुरा, तहसील चिडावा, हाल सुरजगढ जिला झुन्झुनु राज० ।
10. शारदा उम्र 45 वर्ष पुत्री इन्द्राज, जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सुरजगढ जिला झुन्झुनू।
11. मल्ला उम्र 42वर्ष, पुत्री इन्द्राज जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सुरजगढ जिला झुन्झुनू।
12. विधा उम्र 40 वर्ष, पुत्री इन्द्राज जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सुरजगढ जिला झुन्झुनू।
13. विमला पुत्री नानड जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सुरजगढ जिला झुन्झुनू।
14. चन्द्रकला पुत्री नानड जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सुरजगढ जिला झुन्झुनू।
15. इन्द्रावती पुत्री नानड जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सुरजगढ जिला झुन्झुनू।
16. बिमला पुत्री नानड जाति मेघवंशी, निवासी राजवीरपुरा तहसील चिडावा हाल सुरजगढ जिला झुन्झुनू।
17. राज० सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनू।

प्रतिवादीगण

उपस्थित:- वादीगण अधिवक्ता

दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन
निर्णय

वादीगण ने घोषणार्थ निवेदन किया कि :-

(क) भूमि गत खसरा नम्बर 235 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम जाखोद से बने हाल खसरा नम्बर 36 रकबा 1.50 है०, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 2.17 है०, खसरा नंबर 39 रकबा 4.11 हैक्टर, वाके ग्राम राजवीरपुरा के हिस्सा

2/5 का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाना फरमाया जावे। कुल भूमि के 2/5 हिस्से के हिस्सा 1/6, 1/6 का प्रत्येक वादीगण 01 लगायत 03 को तथा 1/6 का वादीगण 4 लगायत 6 को बहिस्सा बराबर तथा 1/6 हिस्से का वादीगण 7 लगायत 9 को बहिस्सा बराबर व 1/6 का वादीगण 10 लगायत 14 को बहिस्सा बराबर टिनैन्ट्स खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना फरमाया जावे।

(ख) कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 36, 37, 38, 39 कुल रकबा 9.28 है० के हिस्सा 1/5 का प्रतिवादी 03 लगायत 05 को तथा शेष 2/5 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 व 02 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना फरमाया जावे और यदि न्यायालय श्रीमान इस भूमि में प्रतिवादी संख्या 06 लगायत 09 का भी हिस्सा होना माने तो ऐसी सूरत में कुल भूमि के हिस्सा 2/5 का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी 01 एवं 02 तथा 06 लगायत 09 को घोषित किया जाकर फरमाया जावे।

(ग) कि भूमि हाल खसरा नम्बर 36 रकबा 1.50 है०, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.50 है०, खसरा नम्बर 38 रकबा 2.17 है, खसरा नम्बर 39 रकबा 4.11 है०, कुल किता 04 कुल रकबा 9.28 है० वाके ग्राम राजवीरपुरा का बाई मिटस एंड बाउन्डस विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्सा 2/5 का खाता अलग से दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे व वादीगण का उनके हिस्से 2/5 में आने वाली भूमि पर अलग से कब्जा करवाया जाना फरमाया जावे तथा लगान भी अलग अलग कायम किया जाना फरमाया जावे।

(घ) कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे भूमि खसरा नम्बर 36, 37, 38, 39, रकबा 9.28 है०, के वादीगण के हिस्सा 2/5 के कब्जा काश्त में वादीगण को दखल नहीं पहुचावे तथा उक्त भूमि को गलत राजस्व रिकार्ड की आड में रहन बैय या हस्तांतरित नहीं करें। तथा भूमि को अन्य किसी प्रकार से खुरद बुर्द ना करे।

वाद पत्र दिनांक 04.08.2011 को पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 19.09.2011 नियत की गयी। दिनांक 22.11.2011 को प्रतिवादीगण 01, 03 लगायत 16 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री सुशील कुमार एडवोकेट ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पेश किया गया जिस पर बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के खिलाफ पूर्व में लाई गयी एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की गयी। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से श्री रघुनाथ चेजारा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण का जवाब दावा बंद किया गया। दिनांक 09.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से एडवोकेट श्री संदीप मान ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश की। उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। बहस एवं पत्रावली के अवलोकन बाद उक्त प्रार्थना पत्र खारीज किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गयी। दिनांक 09.10.2023 को वकील वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से दिनांक 31.10.2023 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01 मय धारा 151 सीपीसी पेश है जो शामिल पत्रावली है सहवन से आदेशिका पर नहीं आई जो आज की तारीख पेशी पर आदेशिका पर ली गयी। उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पूर्व में न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है। इसलिये प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पेश प्रतिवादी संख्या 02 का जवाब दावा वाद पत्र के पार्ट डी में


राजस्व वाद संख्या:-89/2013
बगडावत वगै० बनाम गंगाराम वगै०
निर्णय दिनांक:- 08.07.2025

शामिल किया जाता है। उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात प्रदर्श 01 लगायत 34 का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन पश्चात वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अंतिम डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है कि भूमि गत खसरा नम्बर 235 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम जाखोद से बने हाल खसरा नम्बर 36 रकबा 1.50 है०, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 2.17 है०, खसरा नंबर 39 रकबा 4.11 हैक्टर, वाके ग्राम राजवीरपुरा के हिस्सा 2/5 का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। कुल भूमि के 2/5 हिस्से के हिस्सा 1/6, 1/6 का प्रत्येक वादीगण 01 लगायत 03 को तथा 1/6 का वादीगण 4 लगायत 6 को बहिस्सा बराबर तथा 1/6 हिस्से का वादीगण 7 लगायत 9 को बहिस्सा बराबर व 1/6 का वादीगण 10 लगायत 14 को बहिस्सा बराबर टिनैन्ट्स खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त भूमि खसरा नम्बर 36, 37, 38, 39 कुल रकबा 9.28 है० के हिस्सा 1/5 का प्रतिवादी 03 लगायत 05 को तथा शेष 2/5 हिस्से का प्रतिवादी 01 एवं 02 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाये उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।


(श्रीमती सुमन देवी प् आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:-89/2013
बगडावत वगै० बनाम गंगाराम वगै०
निर्णय दिनांक:- 08.07.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)


मु०नं० 89/2013

बगडावत वगै० बनाम गंगाराम वगै०
दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 08/07/2025.....को श्रीमती सुमन देवी ॥ उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि-

अतः वाद वादीगण अंतिम डिकी किया जाता है कि भूमि गत खसरा नम्बर 235 रकबा 36 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम जाखोद से बने हाल खसरा नम्बर 36 रकबा 1.50 है०, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 2.17 है०, खसरा नंबर 39 रकबा 4.11 हैक्टर, वाके ग्राम राजवीरपुरा के हिस्सा 2/5 का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। कुल भूमि के 2/5 हिस्से के हिस्सा 1/6, 1/6 का प्रत्येक वादीगण 01 लगायत 03 को तथा 1/6 का वादीगण 4 लगायत 6 को बहिस्सा बराबर तथा 1/6 हिस्से का वादीगण 7 लगायत 9 को बहिस्सा बराबर व 1/6 का वादीगण 10 लगायत 14 को बहिस्सा बराबर टिनैन्ट्स खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त भूमि खसरा नम्बर 36, 37, 38, 39 कुल रकबा 9.28 है० के हिस्सा 1/5 का प्रतिवादी 03 लगायत 05 को तथा शेष 2/5 हिस्से का प्रतिवादी 01 एवं 02 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाये उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 08/07/2025..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।


(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
सूरजगढ